भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 359

सोमवार, 24 जुलाई, 2023 (श्रावण 2, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

निजी कंपनियों के विमानों में खराबी की घटनाएं

359. श्री नीरज डांगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी विमान कंपनियों के विमानों में खराबी की घटनाएं बढ़ी है; यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उड़ानों में खराबी और सुरक्षा चूक के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है, यदि, हांतो, विमान-वार शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उड़ानों में इस प्रकार की चूक के कारणों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) विमान के प्रचालन के दौरान विमान में तकनीकी खराबियों का अनुभव किया जाता है। ये खराबियाँ विमान में लगी प्रणालियों/उपकरणों/घटकों की अनुचित कार्य पद्धति/ खराबी के कारण हो सकती हैं, और इनकी वजह से होने वाली गंभीर घटनाओं/दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपात लैंडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। विमान का दोबारा प्रचालन शुरू करने से पूर्व, विनिर्माता द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देश के आधार पर, एयरलाइन प्रचालक द्वारा तकनीकी खराबियों को ठीक करने का कार्य किया जाता है। घटनाओं या गंभीर घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।

(ख) विगत समय में, उड़ान में तकनीकी खराबियों तथा सुरक्षा में चूक से संबंधित कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी की गई नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), खंड 5, श्रृंखला ग, भाग-I के अंतर्गत यह अपेक्षा की गई है कि एयरलाइनें, प्रणाली तथा घटकों की खराबी से संबंधित घटनाओं के विषय में डीजीसीए को रिपोर्ट करें। इन घटनाओं की जांच, उनकी गंभीरता के आधार पर, संबंधित एयरलाइन द्वारा, डीजीसीए की

निगरानी में अथवा वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच) नियमावली, 2017 के नियम 13 (1) के तहत, डीजीसीए द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइनों, संगठनों तथा हवाई जहाजों के प्रचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्मिकों की निगरानी, स्पॉट चेक, और रात्रि निगरानी के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र विकसित किया है। इन निगरानी गतिविधियों के दौरान, पाई गई किसी भी विसंगति अथवा निष्कर्ष के विषय में संबंधित एयरलाइन को तुरंत सूचित किया जाता है, तथा उनसे सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया जाता है। तत्पश्चात, एयरलाइन को, सभी विसंगतियों एवं निष्कर्षों पीआर किए गए सुधार का विवरण प्रदान करते हुए, की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इन रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है, तथा एक बार सभी चिह्नित किए गए मुद्दों का उचित समाधान होने के उपरांत, यह समझ लिया जाता है कि विसंगति दूर हो गई है।

ऐसे मामलों में जहां उल्लंघन पाये जाते हैं, डीजीसीए, स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कठोर प्रवर्तन प्रक्रिया का पालन करता है। इसमें चेतावनियाँ जारी करना, निलंबन अथवा रद्दीकरण लागू करना तथा यहां तक कि इससे जुड़े व्यक्तियों या संगठनों पर वित्तीय जुर्माना लगाना भी शामिल हो सकता है। डीजीसीए द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का उद्देश्य, अनुपालना सुनिश्चित करना और विमानन उद्योग में सुरक्षा और विनियामक अनुपालना के उच्चतम मानकों को बनाए रखना है।

*****